

राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**  
**(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)**

कैम्प कोर्ट का स्थान.....दोवरी.....

दिनांक :- 01/06/23

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दोवरी व भू-अभिलेख निरीक्षक दोवरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दोवरी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 221 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>दोवरी</u>	<u>221</u>	<u>नारायण पिता केशु गाडरी</u>	<u>नारायण पिता केशु गाडरी</u>

क्रमांक/ 47 / 106 / 2023  
 प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, .....को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपार्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

( दोवरी )  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
 दिनांक :- .....

( दोवरी )  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़